प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.12.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा रोड एक्सीडेन्ट के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.12.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 10.12.2024 को अज्ञात वाहन चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर NH 9 पर एच पी पैट्रोल पम्प के पास (1) पवन उम्र 45 वर्ष पुत्र गंगाराम (2) सुनीता उम्र 38 वर्ष पत्नी पवन निवासी दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (3) नीलम उम्र करीब 45 वर्ष पत्नी विनोद निवासी माता कॉलोनी सरकारी स्कूल के पास थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद (4) श्वेता उम्र करीब 40 वर्ष पत्नी दिलीप कुमार निवासी महावीर एंक्लेव पालम दिल्ली को टक्कर मार कर गम्भीर रुप से घायल कर देना जिससे पवन, सुनीता व नीलम की मृत्यु हो जाना। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त व दुर्घटना में शामिल गाडी की तलाश हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के अथक प्रयास से उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए उपरोक्त रोड एक्सीडेन्ट में शामिल गाडी को कब्जे में लिया गया तथा घटना कारित करने वाले अभियुक्त चालक कार्तिकेय त्यागी पुत्र रविन्द्र त्यागी निवासी ग्राम दोय्मी थाना कोतवाली देहात जनपद हापुड उम्र करीब 25 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.12.2024 को उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त चालक कार्तिकेय त्यागी पुत्र रविन्द्र त्यागी निवासी ग्राम दोय्मी थाना कोतवाली देहात जनपद हापुड उम्र करीब 25 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर रोड एक्सीडेन्ट की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं किसी काम से गाडी स्विफ्ट से हापुड से नोएडा की तरफ जा रहा था तथा मैं जल्दी में था जिस कारण मेरी गाडी की स्पीड काफी तेज थी कि अचानक रोड पर चार व्यक्ति आ गये तथा मैं अपनी गाडी को कन्ट्रोल नही कर सका जिससे मेरी गाडी उनसे टकरा गयी तथा मैं अपनी गाडी को वहां से भगाकर ले गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

कार्तिकेय त्यागी पुत्र रविन्द्र त्यागी निवासी ग्राम दोय्मी थाना कोतवाली देहात जनपद हापुड उम्र-25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर रोड एक्सीडेन्ट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.12.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर लूट व चोरी की योजना बनाते हुये 02 अभियुक्तों 1.आरिस पुत्र साहिद निवासी सोनी एन्कलेव मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष 2. राशिद पुत्र फखरुद्दीन उर्फ फकरु हाल निवासी मुगल गार्डन थाना मसूरी जिला गाजियाबाद मूल निवासी वावन चौकी पीरवाली गली बुलन्दशहर, उम्र करीब 23 वर्ष को डीएमई एक्सप्रेस-वे के नीचे नाहल को जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया था जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये थे। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान अभियुक्त रहीसुदीन पुत्र हुसैना निवासी बब्बलगढी कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद प्रकाश में आया।

आज दिनांक 17.12.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त रहीसुदीन पुत्र हुसैना निवासी बब्बलगढी कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर मसूरी गंगनहर वाले रोड पर रेलवे अण्डरपास के पास से थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर मौका पाकर राह चलते लोगों के साथ लूट व चोरी की घटना कारित करता हूँ जिसमें पूर्व में मेरे 02 साथी जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

रहीसुदीन पुत्र हुसैना निवासी बब्बलगढी कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त लूट की योजना बनाने के संबंध मे थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1.5 क्विंटल अवैध मीट, पशु कटान में प्रयोग किये जाने वाले 03 छुरी, 01 गंडासा व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

दिनांक 17.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा गश्त/चेकिंग के दौरान खुशहाल पार्क चौकी क्षेत्र पुस्ता से अवैध रूप से पशु कटान करने वाले 03 अभियुक्तों 1. अख्तर पुत्र असगर निवासी खुशहालपार्क निकट कादरी मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष 2. अनस पुत्र तसलीम निवासी खुशहालपार्क निकट कादरी मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष 3. इमरान पुत्र करामद निवासी खुशहाल पार्क निकट कादरी मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। 01 अभियुक्त मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1.5 क्विंटल अवैध मीट, पशु कटान में प्रयोग किये जाने वाले 03 छुरी, 01 गंडासा व घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुये। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम चारों लोग एक ही मौहल्ले के रहने वाले हैं कुछ दिनों से इसी मकान में चोरी छुपके 01-02 भैंसो को काटकर उसके मीट को छोटे-छोटे पीस करके घर के बाहर खडी कार में रखकर दिल्ली एनसीआर के होटलो में सप्लाई करते हैं इस काम से हमको काफी आमदनी होती है। पैसों को हम आपस में बाँट लेते हैं। आज हम चारों ने मिलकर एक छोटी भैंस को काट लिया था और उसके मीट के छोटे-छोटे टुकडे कर ऑर्डर पर दिल्ली एनसीआर में लेकर जाने वाले थे कि पुलिस ने हम तीनों को पकड लिया तथा हमारा एक साथी आप लोगो को देखकर मौका पाकर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. अख्तर पुत्र असगर निवासी खुशहालपार्क निकट कादरी मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष
2. अनस पुत्र तसलीम निवासी खुशहालपार्क निकट कादरी मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
3. इमरान पुत्र करामद निवासी खुशहाल पार्क निकट कादरी मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 1.5 क्विंटल अवैध मीट, पशु कटान में प्रयोग किये जाने वाले 03 छुरी, 01 गंडासा व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा कैफे में मारपीट करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16/17.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर चेकिंग के दौरान व मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि शिवाजी चौक के पास स्थित क्रिस्टल कैफे में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाना बजाने को लेकर आपस में मारपीट हो रही है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुचकर कैफे के बाहर लाठी डन्डों से मारपीट कर रहे 06 अभियुक्तगण 1. सुरेन्द्र बैसला पुत्र रघुवीर बैसला निवासी म0नं0 150 ग्राम सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष, .2अनिल कुमार पुत्र श्रीचन्द्र निवासी ग्राम शरफुद्दीन जावली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र वर्ष 31, .3 सोनू कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी म 104 -0नं0 एक्सओक्सी हॉम सोसाईटी लोनी भोपुरा रोड थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र वर्ष 37, .4 हेमन्त भाटी पुत्र अनिल भाटी निवासी ग्राम शरीफाबाद राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र वर्ष 23,.5 आनन्द पुत्र संजय सिह निवासी बी 57 शालीमार शालीमार गार्डन मैन थाना गार्डन उम्र वर्ष, 6. आकाश भाटी पुत्र सरदार सिंह भाटी निवासी बी 95 28 शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को शालीमार गार्डन मैन बाजार से गिरफ्तार किया गया। वाँछित अभियुक्त (क्रिस्टल कैफे संचालक) पंकज पुत्र रोहतास निवासी गगन विहार दिल्ली उम्र लगभग 32 वर्ष व अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध

अन्तर्गत धारा 191(3),190,324(4),324(5),191(2) बीएनएस 2023 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 16/17.12.2024 की रात्रि को थाना शालीमार गार्डन अन्तर्गत स्थित क्रिस्टल कैफे में आन्नद सिंह पुत्र संजय सिंह जो अपने अन्य साथियों के साथ पार्टी करने के आये थे और उस कैफे में पूर्व से ही मौजूद सोनू पुत्र जन्नेद्र कुमार जोकि वर्तमान में दिल्ली पुलिस में हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। ये अपने अन्य साथियों के साथ जिम कोच अनिल जिनका बर्थ-डे था। वह अपने साथियों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करने आये थे। दोनों पक्षों में आपस में गाना बजाने को लेकर कहासुनी और मारपीट की घटना घटित हुई। इस पूरे प्रकरण में थाना शालीमार गार्डन पर पुलिस की तरफ से अन्तर्गत धारा 191(3),190,324(4),324(5),191(2) बीएनएस 2023 का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। और इसमें मजरुब आन्नद और सुरेन्द्र का मेडिकल कराया गया है, और दोनों ही पक्षों के 6 लोगो को पुलिस हिरासत में लिया गया है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। वाँछित अभियुक्त (क्रिस्टल कैफे संचालक) पंकज पुत्र रोहतास निवासी गगन विहार दिल्ली उम्र लगभग 32 वर्ष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. सुरेन्द्र बैसला पुत्र रघुवीर बैसला निवासी म0नं0 150 ग्राम सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष।
2. अनिल कुमार पुत्र श्रीचन्द्र निवासी ग्राम शरफुद्दीन जावली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र वर्ष 31।
3. सोनू कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी म 104 -0नं0 एक्सओक्सी हॉम सोसाईटी लोनी भोपुरा रोड थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र वर्ष 37।
4. हेमन्त भाटी पुत्र अनिल भाटी निवासी ग्राम शरीफाबाद राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र व 23र्ष।
5. आनन्द पुत्र संजय सिह निवासी बी शालीमार गार्डन मैन थाना शालीमार गार्डन उम्र 28 वर्ष 57।
6. आकाश भाटी पुत्र सरदार सिंह भाटी निवासी बी शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष 95।

वाँछित अभियुक्त (क्रिस्टल कैफे संचालक) पंकज पुत्र रोहतास निवासी गगन विहार दिल्ली उम्र लगभग 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 25000/- ईनामी 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23-10-24 को थाना नन्दग्राम पर वादी श्री राहुल शर्मा पुत्र लक्ष्मण शर्मा निवासी सी- 233 रामनगर गाज़ियाबाद द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा मेरे व मेरे दोस्त के भाई के साथ जान से मारने की नियत से लाठी व डण्डों से हमला किया, जिससे दीपक शर्मा मौके पर ही बेहोश हो गया तथा अभियुक्त हम लोगो को जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उक्त सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर गिफतारी के लगातार प्रयास किया जा रहे थे,अभियुक्तों के विरुद्ध 25000/- का ईनाम घोषित हुआ था। अभि0गण को दिनांक 17-12-24 को सर्विलांस व लोकल इनपुट के माध्यम से हिन्डन मैट्रो स्टेशन मेरठ रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को धारा 352/110/190/118(1)/351(3)/191(2)/191(3)/115(2)/109(1) बीएनएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभि0गण अशुंल यादव व यदु यादव उपरोक्त द्वारा बताया गया कि राहुल शर्मा और हम लोग आपस में दोस्त है, दिनांक 22/23-10-24 की रात्रि को राहुल शर्मा द्वारा जन्मदिन की पार्टी दी गयी थी, पार्टी राजनगर एक्सटेंशन वीवीआईपी मंगलम के पास में थी। जहां पर शराब पीकर हम लोगो का आपस में झगड़ा हो गया था, उसी झगडे में राहुल शर्मा, दीपक शर्मा व आकाश के चोटें आ गयी थी।

अभियुक्तगण के नाम व पता-

(1) अशुंल यादव पुत्र स्व0 श्री सतीश यादव निवासी आई-119 गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाज़ियाबाद उम्र - 30 वर्ष

(2) यदु यादव पुत्र उदयवीर सिंह यादव निवासी यूजी-101 सिग्नेचर टावर शताब्दीपुरम गोविन्दपुरम गाज़ियाबाद उम्र- 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम